

नगर पालिका, पोकरन

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/POKARAN/FIRENOC/2023-24/27080
जारी दिनांक: 28-MAR-2024 वैधता दिनांक: 27-MAR-2025

प्रेषित-
आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: KAILASH DAN UJJAWAL
आवेदक का पता: FALSUND ROAD BSNL OFFICE KE PASS POKARAN

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत
आपके भवन POKARAN TEACHERS TRAINING COLLEGE POKHRAN, 1, BSNL OFFICE POKARAN, FALSUND ROAD, POKARAN, JAISALMER, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह अस्थायी (Temporary) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

1. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
2. भवन परिसर का उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेना होगा।
3. फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र को किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि या भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा।
4. अधिसूचित नगरीय क्षेत्रों में स्थित ऐसे अनुमोदित, गैर अनुमोदित निर्मित भवन, परिसर का उपयोग जिनका उपयोग छात्रावास, गेस्ट हाउस, अस्पताल, हॉटल इत्यादि के लिये फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा।
5. राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 103, 337 एवं सपटित धारा 255, 291, एवं 325 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये अधिसूचित नगरीय क्षेत्रों में स्थित ऐसे अनुमोदित, गैर अनुमोदित निर्मित भवन, परिसर का उपयोग जिनका उपयोग छात्रावास, गेस्ट हाउस, अस्पताल, हॉटल इत्यादि के लिये फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा। अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही अमल ली जावेगी एवं अनापत्ति निरस्त मानी जावेगी।



Signed by: Jodha Ram Bishnoi
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: POKARAN, Rajasthan
Date: 28/03/2024 12:52:58

अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, पोकरन